प्रेस नोट
थाना सीपरी बाजार , झाँसी

दिनांक- 06.06.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम हत्या की घटना से संबंधित 02 अभियुक्तगण 24 घन्टे के अन्दर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार किया गया
- कब्जे से, 2 अवैध तमंचा, खोखा व जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 06.06.2026 थाना सीपरी बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत सिमरधा गांव के सामने प्रतीक्षालय के बगल से कच्चे रास्ते पर समय करीब रात्रि 23.55 बजे मु0अ0सं0 - 260/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(2)/351(3)/103 (1)/45 बीएनएस के अभियोग में वाछिंत, अभियुक्तगण 1-अभि० चिंगारा पुत्र शेर सिंह बाल्मीकि उम्र 23 वर्ष निवासी सिंगल बस्ती नई टंकी के पास थाना कोतवाली जिला मुरैना म०प्र० हाल पता शिवानी होटल के पीछे पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी, 2. अभि० रग्धू उर्फ रघुवीर उर्फ सौरभ पुत्र शेर सिंह बाल्मीकि उम्र 18 वर्ष निवासी सिंगल बस्ती नई टंकी के पास थाना कोतवाली जिला मुरैना म०प्र० हाल पता शिवानी होटल के पीछे पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त चिंगारा के बाये पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिन्हें जीवन रक्षार्थ हेतु अस्पताल भिजवाया गया है ।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.06.2026 को वादिया श्रीमती सुमन कुशवाहा पत्नी गौरीशंकर, नि० शिवानी होटल के पीछे, पाल कालोनी, थाना सीपरी बाजार, जनपद झांसी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 06.06.2026 को समय 03:02 बजे रात्रि उसके पति गौरीशंकर कुशवाहा पुत्र स्व० रामबाबू कुशवाहा एवं चाचा मुरारी लाल पुत्र जगन्नाथ के साथ झगड़ा कर जान से मारने की नीयत से हमला कर देना, जिससे वादिया के पति एवं चाचा को घायल कर मरणासन्न अवस्था में घटनास्थल पर छोड़ देना तथा परिजनों को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 260/2026 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 351(3), 45 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इलाज के दौरान वादिया के पति गौरीशंकर कुशवाहा की मृत्यु हो जाने के उपरांत उक्त मुकदमे में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

विवेचना के दौरान अभियोग में नामजद अभियुक्तगण 1. चिंगारा पुत्र शेर सिंह बाल्मीकि, उम्र 23 वर्ष, निवासी सिंगल बस्ती, नई टंकी के पास, थाना कोतवाली, जिला मुरैना (म०प्र०), हाल पता शिवानी होटल के पीछे, पाल कालोनी, थाना

सीपरी बाजार, जनपद झांसी तथा 2. रग्धू उर्फ रघुवीर उर्फ सौरभ पुत्र शेर सिंह बाल्मीकि, उम्र 18 वर्ष, निवासी उपरोक्त को दिनांक 07.06.2026 को मुखबिर कि सूचना पर सिमरधा गांव के सामने स्थित प्रतीक्षालय के बगल कच्चे रास्ते से, थाना क्षेत्र सीपरी बाजार, जनपद झांसी से दौराने पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगणों के कब्जे से एक अदद चापड़, 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किये गये। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में पृथक अभियोग समुचित धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्तगणों को नियमानुसार मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1-अभि० चिंगारा पुत्र शेर सिंह बाल्मीकि निवासी सिंगल बस्ती नई टंकी के पास थाना कोतवाली जिला मुरैना म०प्र० हाल पता शिवानी होटल के पीछे पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी उम्र 23 वर्ष

2. अभि० रग्धू उर्फ रघुवीर उर्फ सौरभ पुत्र शेर सिंह बाल्मीकि निवासी सिंगल बस्ती नई टंकी के पास थाना कोतवाली जिला मुरैना म०प्र० हाल पता शिवानी होटल के पीछे पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी उम्र 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

एक अदद चापड़, 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम